

**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा**

प्रकरण संख्या - 320/2018
किस्म मुकदमा - प्रतिकर निर्धारण

		उनवान	
1.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा	बनाम	1. श्री किशन सिंह पुत्र रतन सिंह राजपूत, निवासी गुवारड़ी, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा
	---प्रार्थी		---विपक्षी

**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/चौड़ाकरण हेतु अवाई अन्तर्गत धारा 3G
राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 एवं Section 24 of RFCTLARR Act, 2013 to
Acquisition Under NH Act, 1956 के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.04.2019	<p align="center">:: आदेश ::</p> <p>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/चौड़ाकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 A (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 31/01/2018 को प्रकाशित की गयी, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 24/02/2018 को किया गया। इसके उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 14/08/2018 को प्रकाशित की गयी, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 15/09/2018 को किया गया। सूचना प्रकाशन होने के उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (2) के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि समस्त भारो से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार में निहित हो चुकी है।</p> <p>परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा ने पत्रांक: 4925 दिनांक 27/11/2018 के क्रम में विहित अधिनियम के तहत धारा 3D में अधिसूचित अवाप्ताधीन भूमि का प्रतिकर निर्धारण किया जाना है।</p> <p>परियोजना निदेशक से प्राप्त पत्र को दृष्टिगत रखते हुए विहित अधिनियम की धारा 3D के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना का अवलोकन किया गया। अधिसूचना के अनुसार विपक्षी के खाते में अंकित ग्राम गुवारड़ी की आराजी नं० 286/2 में से 0.0021 हेक्टेयर भू-भाग अवाप्त किया गया है।</p> <p>तहसीलदार हमीरगढ़ से अवाप्ताधीन भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन एवं जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम गुवारड़ी की आराजी नं० 286/2, किस्म चाही।।, रकबा 0.16 बीघा विपक्षी के स्वामित्व की होकर इस आराजी में से 0.0021 हेक्टेयर अर्थात् 21 वर्ग मीटर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण/चौड़ाकरण में अवाप्ताधीन है। विपक्षी श्री किशन सिंह राजपूत ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अवाप्ताधीन भूमि का मुआवजा नियमानुसार नवीन दर से दिलाने का अनुरोध किया है। अवाप्ताधीन भूमि की DLC दर उप पंजीयक हमीरगढ़ से प्राप्त की गयी।</p> <p>अतः तहसीलदार हमीरगढ़ से प्राप्त मौका सत्यापन रिपोर्ट एवं जमाबन्दी की प्रति को आधार स्तम्भ लिया जाकर ग्राम गुवारड़ी की आराजी नम्बर 286/2 में से 0.0021 हेक्टेयर भूमि अवाप्त किया गया है।</p>	

(प्रशासन)
भूमि अवाप्ति)

राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 G (1) (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन भूमि अर्जन पुनःवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि का निम्नानुसार प्रतिकर निर्धारण किया जाता है तथा हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं -

क्र०सं०	विवरण	विवरण/प्रतिकर राशि
1	आराजी नं० (ग्राम गुवारड़ी)	286/2
2	अवाप्ताधीन रकबा	0.0021 हेक्टर अर्थात् 21 वर्ग मीटर
3	किस्म भूमि	चाही।।
4	हितबद्ध खातेदार	श्री किशन सिंह पुत्र रतन सिंह राजपूत, निवासी गुवारड़ी
5	दिनांक 31.01.2018 को DLC दर (प्रति बीघा)	38,89,260- रूपये
6	दिनांक 31.01.2018 को DLC दर (प्रति वर्गमीटर)	1537.69- रूपये
7	PWD के अनुसार ग्राम गुवारड़ी की शहरी सीमा से स्थित दूरी	4.850 किमी
8	कृषि भूमि की प्रतिकर राशि (क्षेत्र X दर)	32,291- रूपये
9	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फेक्टर दूरी 10-20 किमी पर देय कारक 1.25 गुणा की दर से राशि	40,363- रूपये
10	अधिकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार स्थायी संरचना का मूल्य	Nil
11	योग (9+10)	40,363- रूपये
12	सोलिशियम (तोषण) राशि (100 प्रतिशत) कॉलम नं० 11 अंकित राशि का	40,363- रूपये
13	दिनांक 24.02.2018 से 12.04.2019 तक कुल 412 दिवस का ब्याज (12 प्रतिशत से)	4,373- रूपये
14	कुल मुआवजा राशि कॉलम नं० (11+12+13)	85,099- रूपये
15	कुल प्रतिकर राशि पर 10 प्रतिशत की दर से आयकर (TDS) कटौती	Nil
16	हितबद्ध खातेदार को भुगतान की जाने वाली राशि	85,099- रूपये

अक्षरे - पिचासी हजार निनानवे रूपये मात्र

अवाप्त भूमि का अवाई जारी किया जावे। प्रार्थी परियोजना निदेशक अवाई अनुसार प्रतिकर राशि तत्काल इस न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। विलम्ब के लिए प्रार्थी परियोजना निदेशक जिम्मेदार होंगे। अवाई की प्रति प्रार्थी परियोजना निदेशक, तहसीलदार एवं हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को प्रेषित की जावे। तहसीलदार हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार से सम्पर्क कर प्रतिकर भुगतान पत्रादि प्रस्तुत करावे। अवाप्तशुदा भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में राजस्व अधिकार अभिलेख में अंकन किया जावे तथा भूमि का कब्जा परियोजना निदेशक को सुपुर्द किया जावे।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के नम्बर से कम होकर फैसल शुमार की जावे।

(राकेश कुमार)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा

